FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं S.D.O. मुकाम बायतु

अचलाराम बनाम हेमाराम वगैरा

किस्म मुकदमा रा० का० 88,188 RTAct नं. 34/19 सन् 2019

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12/03/19	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री घमण्डाराम सारण ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 88,188 RTAct राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 24/04/19 को पेश हो। [signature]	104 12/03/19
24/04/19	वादी वकील उपस्थित / प्रतिवादीगणों के सम्मन तामील कड़ा तामील अप्राप्त / पीठासीन अधिकारी दीगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 27/05/2019 को पेश हो। [signature]	
27/05/19	वादी वकील उपस्थित / प्रतिवादी संख्या- 1 से 60 व 62 से 67 के सम्मन तामील शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया / प्रतिवादी संख्या- 1 से 17 की ओर से वकील श्री जगदीश गोदारा द्वारा वकालतनामा मय इकबाली जवाबदावा पेश किया गया तथा प्रतिवादी संख्या- 56 व 61 की ओर से वकील श्री शिवाराम [illegible] द्वारा वकालतनामा पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया / पीठासीन अधिकारी [illegible] कार्यों में व्यस्त होने से मिसल [illegible] दिनांक 24/07/19 को पेश हो। [signature]	

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.30 12:02:14 IST
Reason: SelfAttested

24/07/19

पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त है। मिसल इल्तवा होकर दिनांक 20/08/19 को पेश हो।

20/08/19

वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 17 व 56 तथा 61 के वकील उपस्थित। प्रतिवादी संख्या-56 व 61 के अधिवक्ता द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया। फाईनल पेश करना चाहते है। अवसर दिया जाता है। प्रतिवादी संख्या-18 से 55 व 57 से 60 तथा 62 से 66 बावजूद तामिल अनुपस्थित। न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई। अंतिम आवाज 5.45 pm पर लगाई गई। प्रतिवादी संख्या-18 से 55 व 57 से 60 तथा 62 से 66 की स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ। लिहाजा उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। अतः पत्रावली प्रतिवादी संख्या-56 व 61 के जवाब हेतु पत्रावली दिनांक 09/10/19 को पेश हो।

09/10/19

वकुलाय फरीकैन उपस्थित। प्रतिवादी संख्या-56 व 61 के अधिवक्ता द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया। फाईनल पेश करना चाहते है। श्रीमान पीठासीन अधिकारी वाद रीडर दिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 27/11/19 को पेश हो।

27/11/19

वकुलाय फरीकैन उपस्थित। श्रीमान पीठासीन अधिकारी अवकाश के पधारे हुए है अतः मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 19/02/2020 को पेश हो।

19/02/2020

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.30 12:02:14 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19/02/2020	वादी व प्रतिवादी संख्या-1 से 17 व 56 व 61 के वकील उपस्थित। प्रतिवादी संख्या-1 से 17 पूर्व में इकबालिया है तथा प्रतिवादी संख्या-56 व 61 के वकील जवाब पेश नहीं करना चाहते है। प्रतिवादी संख्या-56 व 61 के अधिवक्ता का जवाब बन्द किया जाता है। वादी वकील द्वारा वादी साक्ष्य के रूप में PW-1- अचलाराम पुत्र खेताराम जाति-जाट उम्र-55 वर्ष निवासी-उगरोजियों की ढाणी हाल निवासी- डोपोजियों की ढाणी तहसील-गिड़ा जिला-बाड़मेर स्वतंत्र गवाह PW-2- भारमलराम पुत्र श्री आईदानराम जाति-जाट उम्र-64 वर्ष निवासी-उगरोजियो की ढाणी व चौहटिया तहसील-गिड़ा तथा प्रतिवादी साक्ष्य के रूप में DW-1- खमाराम पुत्र हिमथाराम उम्र-80 वर्ष जाति-जाट निवासी-चौहटिया हाल निवासी डोपोजियों की ढाणी तहसील-गिड़ा जिला-बाड़मेर के शपथ-पत्र पेश किये गये जिसे शामिल पत्रावली किया गया। वादी और प्रतिवादी और साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते है। वादी व प्रतिवादी साक्ष्य बन्द किये जाकर पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 24/02/2020 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	आ.नि. अचलाराम वादी आ.नि. खमाराम जवाब पेश नहीं करना चाहता हूँ 56 व 61 [signature]
24/02/20	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त हैं। मिसल इल्तवा होकर दिनांक 17/03/2020 को पेश हों। [initials]	
17/03/2020	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त हैं। मिसल इल्तवा होकर दिनांक 12/05/2020 को पेश हों। [initials]	

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.30 12:02:14 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर … अहलकार … हुक्म की … में जारी …
12/05/2020	पत्रावली आज पेश हुई, कोविड-2019 के चलते कोर्ट नहीं लिया गया। श्रीमान पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिशल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 14/07/2020 को पेश हो।	
14/07/20	वादी व प्रतिवादी संख्या-1 से 17, 56 व 61 के वकील उपस्थित। वादी वकील की बहस सुनी गई। वादी का वाद स्वीकार किया जाकर निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। डिक्री पर्चा जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार हो दर्ज नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	

सेवामें,

प्रस्तुतकर्ता

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.30 12:02:14 IST
Reason: SelfAttested

यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बायतु

(पीठासीन अधिकारी विवेक व्यास R.A.S.)

राजस्व वाद संख्या– 34 / 2019

वादीगण	**बनाम**	**प्रतिवादीगण**

1. अचलाराम पुत्र खेताराम जाति जाट
हाल निवासी दीपोणियों की ढाणी,
शहर, तहसील–बायतु, जिला–बाड़मेर

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

1. हेमाराम पुत्र गुमनाराम
2. विरमाराम पुत्र गुमनाराम
3. गिरधारीराम पुत्र खेताराम
4. विशनाराम पुत्र खेताराम
5. भीखाराम पुत्र खेताराम
6. भारूराम पुत्र खेताराम
7. खेमी पत्नी खेताराम
8. किरताराम पुत्र गेनाराम
9. पूराराम पुत्र गेनाराम
10. चेनाराम पुत्र गेनाराम
11. खेतू पत्नी गेनाराम
12. गोमाराम पुत्र मेहरामाराम
13. पूरोंदेवी पत्नी रूपाराम
14. खमाराम पुत्र हिमताराम
15. पेमाराम पुत्र कानाराम
16. धन्नाराम पुत्र कानाराम
17. हरियों पत्नी कानाराम
18. देवी पत्नी धन्नाराम
19. केसाराम पुत्र धन्नाराम
20. पेमाराम पुत्र धन्नाराम
21. अमरराम पुत्र सताराम
22. दुर्गाराम पुत्र सताराम
23. खेताराम पुत्र मोडाराम
24. भारूराम पुत्र मोडाराम
25. दुर्गाराम पुत्र मोडाराम
26. धुड़ाराम पुत्र खेताराम
27. भारूराम पुत्र खेताराम
28. मीरो[illegible] पत[illegible]ताराम

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.30 12:02:14 IST
Reason: SelfAttested

29. पुनमाराम पुत्र देराजराम
30. दमाराम पुत्र देराजराम
31. जोगाराम पुत्र देराजराम
32. चुन्नीदेवी पत्नी देराजराम
33. कुम्भाराम पुत्र मगाराम
34. वालाराम पुत्र मगाराम
35. अनोपाराम पुत्र मगाराम
36. देवाराम पुत्र अचलाराम
37. नेनूदेवी पत्नी अचलाराम
38. हेमन्त कुमार पुत्र आईदानराम
39. डालूराम पुत्र आईदानराम
40. नवीन कुमार पुत्र आईदानराम
41. किशोर कुमार पुत्र आईदानराम
42. चुन्नीलाल पुत्र आईदानराम
43. ज्ञानसिंह पुत्र हुकमाराम
44. जोगाराम पुत्र हुकमाराम
45. घमण्डाराम पुत्र हुकमाराम
46. भीखोंदेवी पत्नी हुकमाराम
47. दूदाराम पुत्र देरामराम
48. हेमाराम पुत्र जोगाराम
49. किरताराम पुत्र जोगाराम
50. नेमाराम पुत्र जोगाराम
51. नैनाराम पुत्र जोगाराम
52. फुसीदेवी पत्नी जोगाराम
53. खेताराम पुत्र रामाराम
54. दीपाराम पुत्र रामाराम
55. खेराजराम पुत्र चिमाराम
56. शोभाराम पुत्र भीयाराम
57. केसराराम पुत्र भोमाराम
58. लाधुदेवी पत्नी भोमाराम
59. तुलछाराम पुत्र मदरूपाराम
60. उदाराम पुत्र सोनाराम
61. हेराज[illegible] पु[illegible] सोनाराम

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.30 12:02:14 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

62. सुखाराम पुत्र सोनाराम

63. रूपाराम पुत्र हरजीराम

64. चुतराराम पुत्र हरजीराम

65. केसराराम पुत्र जवाराराम

66. गवरी पत्नी रूपाराम जातियान् जाट
निवासीयान् दीपोणियों की ढाणी,
शहर तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर

67. तहसीलदार, गिड़ा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955.

उपस्थित :– 1. श्री घमण्डाराम सारण वकील वादीगण
2. श्री जगदीश चौधरी वकील प्रतिवादी संख्या 1 से 17
3. श्री रिणछाराम सियाग वकील प्रतिवादी संख्या 56 व 61

–: निर्णय :– दिनांक : 14/07/2020

संक्षेप में वाद कथन इस प्रकार हैं कि वादी ने यह राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के विरूद्ध प्रतिवादी प्रस्तुत कर यह निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 66 की पैतृक कब्जाशुदा खातेदारी की भूमि मौजा दीपोणियों की ढाणी पटवार मण्डल शहर तहसील गिड़ा के खेत खसरा नम्बर 180, 5 रकबा क्रमशः 176.16, 114.14 बीघा में आई हुई है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 17 एक ही पूर्वज के वंशज है। वादग्रस्त भूमि वक्त सेटलमेंट के समय वादी के दादा मंगना व प्रतिवादी संख्या 1 से 11 के पूर्वज देदा वल्द सोना, जैराम, खेता, ज्ञाना उर्फ गेना पिसरान मूला तथा प्रतिवादी संख्या 12 से 17 के पूर्वज मेहरा, रूपा, काना व खेमा पिसरान् हिमथा के कब्जे काश्त की थी परन्तु भूलवंश सेटलमेन्ट के समय प्रतिवादी संख्या 1 से 11 के पूर्वज देदा वल्द सोना, जैराम, खेता, ज्ञाना उर्फ गेना पिसरान मूला तथा प्रतिवादी संख्या 12 से 17 के पूर्वज मेहरा, रूपा, काना व खेमा पिसरान् हिमथा के नाम से संयुक्त रूप से पर्चा लगान जारी कर दिया गया। जबकि वादी के दादा भी आसू के विधिक वारिसान् थे। सेटलमेंट से लेकर आज दिन तक वादग्रस्त भूमि पर वादी के दादा, पिता एवं वादी व प्रतिवादी का संयुक्त रूप से कब्जा काश्त है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि वादी की पैतृक भूमि है और वादी अपने पैतृक भूमि में हिन्दू उतराधिकारी है और हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत वादी का वादग्रस्त भूमि में पैतृक हिस्सा है तथा वादी अपने हिस्से अनुसार भूमि का बाहामी बंटवाड़ा कर काबिज है। क्योंकि हिन्दू उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार हिन्दू पुरूश के पुत्र, पौत्र एवं प्रपौत्र का विधि अनुसार जन्म से ही सहदायिकी अर्थात पैतृक सम्पति में अधिकार प्राप्त हो जाता है। अतः वादग्रस्त भूमि में वादी, प्रतिवादीगण संख्या 1 से 17 के साथ 1/15 वें हिस्से का सहखातेदार घोषित करवाने का अधिकारी है एवं जिस हेतु घोषणा का वाद इस न्यायालय में पेश किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.30 12:02:14 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 17 की ओर से ईकबाली जवाबदावा पेश किया गया। प्रतिवादी संख्या 56 व 61 के वकील जवाब पेश नहीं करना चाहते है। प्रतिवादी संख्या 18 से 55, 57 से 60, 62 से 66 बावजूद तामिल अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। पक्षकारान् को सुना गया एवं वादीगण द्वारा साक्ष्य शपथ पत्र व स्वतंत्र गवाह पेश किये गये।

न्यायालय द्वारा पत्रावली के संलग्न दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया तथा वादी एवं प्रतिवादी को सुना गया। चूंकि वादग्रस्त भूमि वक्त सेटलमेंट से वादी के दादा के कब्जे काश्त की थी एवं सेटलमेन्ट के समय वादी के दादा आसू के विधिक वारिसान् होने के बावजूद वादी के दादा के नाम से पर्चा लगान जारी नहीं हुआ था तथा वादी आसू के विधिक वारिसान् है तथा हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत वादी का वादग्रस्त भूमि में पैतृक हिस्सा बनता है व वादग्रस्त समस्त भूमि में वादी सहखातेदार घोषित करवाने के अधिकारी है।

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत किया गया वाद–पत्र स्वीकार कर, अन्तिम डिक्री इस आशय की जारी की जाती है कि मौजा दीपोणियों की ढाणी पटवार मण्डल शहर तहसील गिड़ा के खेत खसरा नम्बर 180, 5 रकबा क्रमशः 176.16, 114.14 बीघा में वादी को प्रतिवादी संख्या 1 से 17 के साथ 1/15 वें हिस्से का सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। निर्णय अनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। खर्चा पक्षकारान् अपना–अपना वहन करें।

सहायक कलक्टर (SDO)

(विवेक व्यास)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

निर्णय आज दिनांक 14/7/2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (SDO)

(विवेक व्यास)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.30 12:02:14 IST
Reason: SelfAttested

अन्तिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बायतु

पीठासीन अधिकारी श्री विवेक व्यास R.A.S.

वादी **बनाम** **प्रतिवादीगण**

अचलाराम पुत्र खेताराम हेमाराम पुत्र गुमनाराम वगैरा 67

दावा बाबत 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

राजस्व वाद संख्या–34 / 2019. **निर्णय दिनांक :–**

वादी की ओर से वकील श्री घमण्डाराम सारण व प्रतिवादी संख्या 1 से 17 की ओर से वकील श्री जगदीश चौधरी की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 14/7/2020 को न्यायालय में (नाम पीठासीन अधिकारी) विवेक व्यास, सहायक कलक्टर व उपखण्ड अधिकारी बायतु के समक्ष अन्तिम निर्णय किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि :–

वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा दीपोणियों की ढाणी पटवार मण्डल शहर तहसील गिड़ा के खेत खसरा नम्बर 180, 5 रकबा क्रमशः 176.16, 114.14 बीघा में वादी को प्रतिवादी संख्या 1 से 17 के साथ 1 / 15 वें हिस्से का सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार बायतु निर्णयानुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करें।

खर्चा वाद पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 14/7/2020 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई।

विवेक व्यास

(विवेक व्यास)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. .... रुपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.30 12:02:14 IST
Reason: SelfAttested

बनाम

वादीगण

1. अचलाराम पुत्र खेताराम जाति जाट हाल निवासी दीपोणियों की ढाणी, शहर, तहसील–बायतु, जिला–बाड़मेर

प्रतिवादीगण

1. हेमाराम पुत्र गुमनाराम
2. विरमाराम पुत्र गुमनाराम
3. गिरधारीराम पुत्र खेताराम
4. विशनाराम पुत्र खेताराम
5. भीखाराम पुत्र खेताराम
6. भारूराम पुत्र खेताराम
7. खेमी पत्नी खेताराम
8. किरताराम पुत्र गेनाराम
9. पूराराम पुत्र गेनाराम
10. चेनाराम पुत्र गेनाराम
11. खेतू पत्नी गेनाराम
12. गोमाराम पुत्र मेहरामाराम
13. पूरोंदेवी पत्नी रूपाराम
14. खमाराम पुत्र हिमताराम
15. पेमाराम पुत्र कानाराम
16. धन्नाराम पुत्र कानाराम
17. हरियों पत्नी कानाराम
18. देवी पत्नी धन्नाराम
19. केसाराम पुत्र धन्नाराम
20. पेमाराम पुत्र धन्नाराम
21. अमराराम पुत्र सताराम
22. दुर्गाराम पुत्र सताराम
23. खेताराम पुत्र मोडाराम
24. भारूराम पुत्र मोडाराम
25. दुर्गाराम पुत्र मोडाराम
26. धुड़ाराम पुत्र खेताराम
27. भारूराम पुत्र खेताराम
28. मीरोदेवी पत्नी खेताराम
29. पुनमाराम पुत्र देराजराम
30. दमाराम पुत्र देराजराम
31. जोगाराम पुत्र देराजराम
32. चुन्नीदेवी पत्नी देराजराम
33. कुम्भाराम पुत्र मगाराम
34. वालाराम पुत्र मगाराम
35. अनोपाराम पुत्र मगाराम
36. देवाराम पुत्र अचलाराम
37. नेनूदेवी पत्नी अचलाराम
38. हेमन्त कुमार पुत्र आईदानराम
39. डालूराम पुत्र आईदानराम
40. नवीन कुमार पुत्र आईदानराम
41. किशोर कुमार पुत्र आईदानराम
42. चुन्नीलाल पुत्र आईदानराम
43. ज्ञानसिंह पुत्र हुकमाराम
44. जोगाराम पुत्र हुकमाराम
45. घमण्डाराम पुत्र हुकमाराम
46. भीखोंदेवी पत्नी हुकमाराम
47. दूदाराम पुत्र देराम[illegible]
48. हे[illegible] पुत्र जो[illegible]

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.30 12:02:14 IST
Reason: SelfAttested

49. किरताराम पुत्र जोगाराम
50. नेमाराम पुत्र जोगाराम
51. नैनाराम पुत्र जोगाराम
52. फुरीदेवी पत्नी जोगाराम
53. खेताराम पुत्र रामाराम
54. दीपाराम पुत्र रामाराम
55. खेराजराम पुत्र चिमाराम
56. शोभाराम पुत्र भीयाराम
57. केसराराम पुत्र भोमाराम
58. लाधुदेवी पत्नी भोमाराम
59. तुलछाराम पुत्र मदरूपाराम
60. उदाराम पुत्र सोनाराम
61. हेराजराम पुत्र सोनाराम
62. सुखाराम पुत्र सोनाराम
63. रूपाराम पुत्र हरजीराम
64. चुतराराम पुत्र हरजीराम
65. केसराराम पुत्र जवाराराम
66. गवरी पत्नी रूपाराम जातियान् जाट निवासीयान् दीपोणियों की ढाणी, शहर तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर
67. तहसीलदार, गिड़ा

(विवेक व्यास)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.30 12:02:14 IST
Reason: SelfAttested